UPKJ010004862026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कन्नौज।

(J.O.CODE NO–UP1570)

विकास पुत्र राजू

निवासी–कांशीराम कालोनी कस्बा व थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

..........आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य **..........अभियोजन ।पक्ष**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–233/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध संख्या–547/2025

धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज

विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986

थाना कोतवाली छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

जमानत आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त **विकास** द्वारा यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० –547/2025 धारा–3(1) गैंगेस्टर एक्ट में इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। पूर्व में तीन मुकदमा अपराध संख्या 171/25, 282/25, 287/25, जिसमें कि उपरोक्त मुकदमे के वादी द्वारा अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। बाद में बिना किसी ठोस साक्ष्य के गुडवर्क दिखाने के लिये स्थानीय पुलिस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर गलत तरह से बिना किसी ठोस साक्ष्य के नामित कर दिया गया। प्रार्थी दिनांक 06.02.2026 से जिला कारागार, कन्नौज में निरुद्ध है। प्रार्थी के विरुद्ध गैंगचार्ट में वर्णित समस्त मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं, अब किसी भी तरह की विवेचना शेष नहीं है। प्रार्थी के कब्जे से चोरी का माल बरामद नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस द्वारा कथित गैंगलीडर जुबैर को दर्शाया गया है, जो कि मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति नहीं है तथा उसका विकलांगता प्रमाणपत्र होना दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में किसी संगठित गिरोह की अस्तित्व की परिकल्पना ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि गिरोह के लिये सचेत नेतृत्व एवं आपराधिक मंशा का होना अति आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्त तीनों मुकदमों में नियमित जमानत पर है। उक्त प्रकरण में पुलिस के अतिरिक्त अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी जमानत के पश्चात् विचारण में सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची दाखिल की गई है, जिसमें उसके द्वारा पूर्व में पारित जमानत आदेशों की प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

2. प्रार्थना पत्र के आलोक में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से आख्या प्राप्त होकर संलग्न है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य है। अभियुक्त अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने व अपने परिवार के भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु चोरी करने जैसा संगीन अपराध कारित करता है। स्थानीय थाना द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में लिखा है कि यदि ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर फरार हो जाएगा। साक्षियों को डरा धमकाकर साक्ष्य समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा जिससे जनता में पुनः भय व आतंक व्याप्त होगा।

3. आवेदक/अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि गैंगचार्ट में वर्णित उपरोक्त दोनों मुकदमों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध गैंगेस्टर का झूठ मामला बनाया गया है, उपरोक्त तीनों मुकदमों में वह जमानत पर है। पुलिस द्वारा लगाये गये आरोप के तथ्य सही नहीं है। अभियुक्त निर्दोष है। वह जमानत पाने का अधिकारी है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त **विकास** गैंग का सक्रिय सदस्य है। अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गिरोह बनाया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने व अपने परिवार के भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु बंद पड़े हुये मकानों एवं घरों से चोरी/नकबजनी करने जैसा अपराध कारित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध से समाज में इनका भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

5. मैंने जमानत प्रार्थनापत्र, संलग्न प्रपत्रों तथा पक्षों के अभिकथनों का सम्यक् परिशीलन

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2026.03.17 17:48:16 IST
Reason: bail
Location: Spl Judge Sc/StAct Kannauj

किया।

6. आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत इस अपराध का पंजीकरण इस तथ्य के साथ किया गया है कि आवेदक ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया है। यह गिरोह समाज विरोधी क्रियाकलापों और अपराधों में लिप्त है। ऐसे गिरोह द्वारा अपने भौतिक व आर्थिक लाभ हेतु चोरी करने जैसा संगीन अपराध कारित किया जाता है। इनके अपराध करने के ढंग से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–19(4) में यह प्रावधानित है कि **Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under this Act or any rule made thereunder shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless–**

a. the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

b. where the Public Prosecutor opposes the application, the Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail. एवं

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021 के नियम–34(1) (जमानत सम्बन्धी नियम) में यह उल्लिखित है कि **अधिनियम के अधीन जमानत तभी प्रदान की जाएगी, यदि विशेष अदालत का सुनवाई के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (4) में उल्लिखित अपेक्षायें पूरी कर ली गयी हैं।**

2. **जमानत प्रदान किये जाने के समय, विशेष न्यायालय द्वारा समुचित शर्तें भी अधिरोपित की जा सकती हैं।**

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–547/2025, थाना कोतवाली छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु चोरी/नकबजनी जैसा संगीन अपराध कारित किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट के आधार पर गैंगस्टर अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गैंगचार्ट में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 171/25, धारा–331(4), 305(a), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना छिबरामऊ व मु०अ०सं० 282/25, 331(4), 305(a), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना छिबरामऊ एवं मु०अ०सं० 287/25, धारा–331(4), 305(a), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य है। अभियुक्त पर आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु चोरी/नकबजनी करने का अपराध आरोपित है। कार्यवाही के इस स्तर पर यह निर्धारित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किये गये अभियोग में वह दोषी नहीं है तथा वह भविष्य में आपराधिक कार्य नहीं करेगा।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विकास** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–547/2025 धारा–3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली छिबरामऊ, जिला कन्नौज के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–17.03.2026

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद–कन्नौज।
J.O.CODE–UP1570